न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 78/2024

उनवान

किरीट द्विवेदी पिता नटवरलाल द्विवेदी जाति ब्राह्मण निवासी परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः18.9.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गढी के सेटलमेंट से पूर्व की कृषि भूमि का पुराना सर्वे नम्बर 37 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा था। सेटलमेंट के उपरान्त नये नम्बर खाता संख्या 59 (नया) 469 (पुराना) के खसरा नम्बर 90 रकबा 0.07 हे0 व खसरा नम्बर 91 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.08 हे0 कुल सर्वे नम्बर 04 कुल रकबा 0.21 हे0 भूमी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। जिसे प्रार्थी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया एवं उक्त भूमि में कुछ भूमि विक्रय उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 798 (नया) 60 (पुराना) के सर्वे नम्बर 7127 / 92 रकबा 0.02 हे0, 7155 / 7153 रकबा 0.03 हे0 एवं 7157/91 रकबा 0.02 हे0, 7165/7161 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.11 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बरकी भूमि का प्रार्थी एकमात्र मालिक एवं स्वामी है। प्राथी उक्त भूमी पर काबीज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। सेटलमेंट से पूर्व का नक्षा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो ने मुल नक्षे में परिवर्तन एवं परिर्वधन कर दिया है। जिससे मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित भुमि को नाप माप करने मे कई समस्याएं आ रही है। जिस कारण उक्त सेटलमेंट के बाद के नक्षे मे सुधार किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट के बाद के नक्षे मे सुधार हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct के तहत श्रीमान् के न्यायालय में पेश है। मुझ प्रार्थी की उक्त भूमि के पास स्थित सर्वे नम्बर 36 रकबा 03 बिस्वा भूमी का सेटलमेंट के बाद नया नम्बर 89 बना, सेवन से उक्त सर्वे नम्बर का रकबा 03 बिस्वा से बढा कर 0.16 हे0 कर दिया गया। जिसमे सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है। उक्त सर्वे नम्बर 36 को नाले के रूप मे दर्शाया गया है। उक्त नाले मे किसी भी तरह के पानी की आवक जावक नही है। भू– प्रबन्धन अधिकारी को राजस्व रिकार्ड के रकबा और मौके पर स्थित नक्षे के विपरीत परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का कानूनन कोई अधिकार नही है। राजस्व कर्मचारीयों की भूलवश मुझ प्रार्थी के सेटलमेंट के पूर्व के नक्षे व वर्तमान के नक्षे मे काफी भिन्नता है। जिसे सुधार किया जाना अती आवश्यक है। प्रार्थी ने अपनी भूमि के नक्षे एवं रकबा मे हुई त्रुटी को सुधार करने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु सुधार नहीं किया [illegible] कारण प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवामे पेश कर निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी की [illegible] खसरा 37 जिसके नये नम्बर 90, 91, 92, 93 मे सेटलमेंट [illegible] के नक्षे मे परिवर्तन व परिवर्धन कर दिया गया है जिसे सुधार किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड के नक्षे में [illegible] सुधार किये जाने के आदेश फरमावे एवं साथ ही मुझ प्र[illegible] कि भूमी के पास स्थित [illegible] सर्वे नम्बर 36 के नये नम्बर 89 का रकबा 03 बिस्वा के स्थान पर 0.16 हे0 कर दिया है। उक्त रेकार्ड एवं नक्षा शुद्धी मौका स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड मे सुधार किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.23 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम समन जारी किया जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के पत्रांकः राज./2024/895 दिनांक 12.9.2024 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि "वर्तमान आराजी नम्बर 89 रकबा 0.16 हे0 किस्म–नदी/नाला श्रीसरकार दर्ज रिकार्ड है जिसका सेटलमेंन्ट पूर्व आराजी नम्बर 36 रकबा 3 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जो कि सेटलमेंन्ट पूर्व का आराजी नम्बर 36 रकबा 3 बिस्वा भूमि का ही वर्तमान नया आराजी नम्बर 89 रकबा 0.16 हे0 किस्म–नदी/नाला दर्ज हुआ है जो कि सेवन से लिपिकिय भूल से 3 बिस्वा भूमि का 0.16 हे0 दर्ज हो गया है जो गलत दर्ज हुआ है जो कि वास्तविक 3 बिस्वा का 0.02 हे0 दर्ज होना था। वर्तमान हाल मौके पर 3 बिस्वा का 0.02 हे0 नाला मौजुद है जो सही है जिसकी रकबे व नक्शें में शुद्धि किया जाना उचित है। वर्तमान में मौके पर नाला छोड़कर प्रार्थी किरीट द्विवेदी पिता नटवरलाल द्विवेदी की चार दिवारी निर्मित होकर स्वंय काबिज है। साथ ही सेटलमेंन्ट पूर्व आराजी नम्बर 37 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था जिसे सेटलमेंन्ट के उपरान्त आराजी नम्बर 90 रकबा 0.07 हे0, आराजी नम्बर 91 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 92 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 93 रकबा 0.08 हे0 कुल खसरा 4 रकबा 0.21 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई जो प्रार्थी किरीट द्विवेदी पिता नटवरलाल द्विवेदी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। मौके एंव भू–प्रबन्ध से पूर्व के रिकार्ड अनुसार रकबा व नक्शे में शुद्धि किया जाना उचित बताया।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी के खाता संख्या 1 (नया) 0 (पुराना) के सर्वे नम्बर 89 रकबा 0.16 हे0 किस्म–नदी/नाला में से रकबा 0.02 हे0 भूमि किस्म–नदी/नाला रखी जाकर रकबा 0.14 हे0 भूमि राजस्व नक्शें में भू–प्रबन्ध से पूर्व की भॉति तरमीम की जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में मौके अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम की जाना न्यायोचित होकर (भूमिधारी) तहसीलदार गढ़ी को उक्तानुसार कार्यवाही करने निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.23 13:02:55 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा